राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: f25(6)/सामान्य पत्रावली/2013/ 1097 दिनांक: 11.10.19

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय (पुरुष / महिला / विधि / टी.ए.डी.)।
2. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा ।
3. सचिव/प्राचार्य, समस्त पूर्व अनुदानित संस्थायें

विषय: महालेखाकार, आंतरिक जाँच एवं भौतिक सत्यापन ऑडिट रिपोर्ट के बकाया आक्षेपों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय/कार्यालय से सम्बंधित महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच व भौतिक सत्यापन के बकाया पैराज का त्वरित निस्तारण करायें।

इस सम्बन्ध में आयुक्तालय की लेखा शाखा द्वारा दिनांक 08.07.2019 से 29.07.2019 एवं दिनांक 26.09.2019 से 27.09.19 तक विशेष कैम्प का आयोजन भी किया गया था । इस कैम्प में महाविद्यालय से उपस्थित कार्मिक को समस्त बकाया पैराज एवं उनके निस्तारण हेतु जानकारी दे दी गयी है।

अतः इस उपरान्त भी जो पैराज बकाया रह गये हैं, उनका निस्तारण अविलम्ब रूप से दिनांक 29.11.2019 तक करवाना सुनिश्चित करें। आक्षेपों के निस्तारण के लिए यदि किसी विभाग/कार्यालय/संस्था /फर्म इत्यादि से संपर्क/पत्राचार की आवश्यकता हो तो स्वयं अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालना सीधे ही महालेखाकार/निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के सम्बंधित अनुभाग को भिजवायें। यदि किसी गंभीर/विशेष पैरा में आयुक्तालय की टिप्पणी की आवश्यकता हो तो सम्बंधित पैरा की अनुपालना इस कार्यालय के माध्यम से सम्बंधित विभाग को भिजवाई जायेगी। अतः अब निस्तारण नहीं होने की स्थिति में इसे आपके दायित्व के प्रति लापरवाही मानी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य /कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव (उच्च शिक्षा)

क्रमांक: f25(6)/सामान्य पत्रावली/2013/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. समस्त कॉलेजो के प्रभारी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कॉलेज के बकाया आक्षेपों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु दूरभाष/मैसेज के माध्यम से संपर्क करें एवं 29.11.2019 तक निस्तारण सुनिश्चित करावें। अन्यथा विलम्ब हेतु आपकी जिम्मेदारी होगी।
2. वेबसाइटप्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित, पत्रावली ।
4. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे.ले.प.) राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

sd/-

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव (उच्च शिक्षा)